* महत्व पूर्ण बिन्दु :- प्राचीन भारती ज्ञान परम्परा शन्ति, सन्तोष, सदाचरण आदर्श पर आधारित है।

- भारतीय जीवन-शैली में भौतिक सुख से अधिक आध्यात्मिक सुख को महत्व
- आर्यों के आने पर ग्रामों का विकास हुआ तथा ग्राम जीवन-शैली का उत्कर्ष हुआ
- प्राचीनकालीन शिक्षा से आशय वैदिककालीन शिक्षा से है।
- वैदिक काल ई० पू० 1500 से लेकर ई० पू० 600 तक का काल था।
- विद्यारम्भ संस्कार से शिक्षा का प्रारम्भ होता है।
- उपनयन संस्कार से आशय है - बालक को गुरु के पास ले जाना।
- समावर्तन संस्कार - घर लौटना
- शिक्षण हेतु व्याख्यान-विधि का प्रयोग किया जाता है।
- टोल, चरण, घटिका, परिषद् गुरुकुल आदि प्राचीन भारत की मुख्य शिक्षण संस्थाएं

INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

* प्राचीन भारतीय शिक्षा - हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का सुव्यवस्थित रूप उपलब्ध था। इस समय विश्व के अनेक देश अति-व्यवस्थित शिक्षा से परीचित नही थे। वैदिक काल के भारवासी शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज की उन्नति एवं प्रगति तथा सभ्यता के बहुपक्षीय विकास के लिए शिक्षा ही मुल आधार है। शिक्षा के अभाव में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नही है। अतः वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने शिक्षा को व्यवस्थित रूप दिया। इस शिक्षा का परिणाम है कि आज तक वैदिक साहित्य सुरक्षित रहा तथा भारतीय समाज में मौलिक चिन्तन की परम्परा बनी रही।

* विद्यारम्भ संस्कार का प्रचलन :- शिक्षा को प्रारम्भ करते समय एक धार्मिक संस्कार को सम्पन्न किया जाता था। इस संस्कार को विद्यारम्भ - संस्कार कहा जाता था प्राथमिक शिक्षा आरम्भ व अक्षर ज्ञान प्रदान करने के समय पाँच वर्ष की आयु में होता था। सर्वप्रथम बालक द्वारा सरस्वती विनायक तथा कुल देवता की उपासना की जाति थी। इसके बाद गुरु बालक को अक्षर लिखने का अभ्यास कराता था।

* उपनयन संस्कार :- 'बालक को गुरु के पास ले जाना' जब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल अथवा गुरु के पास ले जाया जाता था तब उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था। गुरु के द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था।

* समावर्तन संस्कार का प्रचलन:— शिक्षा के पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। यानि कि "घर लौटना" 25 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार होता था संस्कार के सम्पन्न होने के साथ-साथ शिष्य शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से विदा लेकर अपने घर जाता था। इसी संस्कार के साथ-2 ब्रह्मचर्य आश्रम अवधि पूर्ण समझी जाती थी। तथा युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के योग्य होता था।

* वैदिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु:— ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष, की आयु उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित थी। मनु के अनुसार उच्चतम आयु — ब्राह्मण 16 वर्ष, क्षत्रिय 22 वर्ष, वैश्य 24 वर्ष हो सकती थी।

* सर्व सुलभ तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था:— अपनी मर्जी से छात्र कुछ भी दे सकता था

* शिक्षण पद्धति — व्याख्यान विधि, श्रवण, मनन, चिन्तन, स्वाध्याय, तथा पुनरावृत्ति के माध्यम से विषय के ज्ञान को पूर्ण रूप से अर्जित किया जाता था। समाधान/स्पष्टीकरण के लिए — वाद विवाद, शास्त्रार्थ अथवा प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जाता था।

* कक्षा-नायकीय पद्धति का प्रचलन—
* छात्र-जीवन सम्बन्धी नियमों का महत्व
* प्राचीन काल में गुरु शिष्य सम्बन्ध
* प्राचीन शिक्षा में दण्ड-व्यवस्था

BULANDSHAHR

* शिक्षा के विभिन्न अर्थ:— शिक्षा अपने आप मे एक अत्यधिक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है — जो किसी ना किसी रूप में जीवनपर्यन्त चलती रहती है।

* शिक्षा शब्द की उत्पत्ति:— शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द educare (e- out ducare = to lead) से हुई है, अर्थात बालक में अन्तर्निहित शक्तियों व गुणो को बाहर लाना और उनका विकास करना।

* भारतीय ग्रन्थों के अनुसार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति — संस्कृत भाषा के 'शिक्ष' धातु से हुई है। संस्कृत भाषा में इस धातु का प्रयोग 'ज्ञानार्जन' या 'विद्या प्राप्ति' के अर्थ में होता है। जिसके माध्यम से अभ्यास द्वारा ज्ञान या विद्या अर्जित की जाती है।

* शिक्षा का सामान्य रूप से प्रचलित अर्थ:- समाज में अधिकांश व्यक्ति शिक्षा के इसी अर्थ से परिचित है। इसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित कुछ तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्र करके किसी भी माध्यम से प्राप्त कर लेना या एकत्र कर लेना ही शिक्षा है। सूचनाएँ एकत्र करने के ढंग उचित भी हो सकते है तथा अनुचित भी।

* शिक्षा का संकुचित अर्थ:- इस अर्थ में शिक्षण-कार्य के लिए विधिवत स्थापित की गई शिक्षण संस्थाओ स्कूल कालिज पाठशाला, द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है।

* शिक्षा का व्यापक अर्थ:- शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। शिक्षा जन्म के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। तथा जीवन भर निरन्तर चलती रहती है। काल या अवधि के ही समान इस अर्थ के अनुसार शिक्षा प्रदान करने या ग्रहण करने का क्षेत्र भी सीमित नही होता।

INSTITUTE OF MANAGEMENT ... BULANDSHAHR

* शिक्षा की परिभाषा:-

* सुकरात:- "सार्वजनिक प्रामाणिकता के उन विचारों को प्रकाश में लाना जो कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित है।"

* फ्रोबेल:- "शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है।"

* स्वामी विवेकानन्द:- "मनुष्य में पुर्वनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है।"

* पेस्तालॉजी:- "शिक्षा मनुष्य की जन्म जात शक्तियो का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है।"

* रवीन्द्रनाथ टैगोर:- "शिक्षा का अर्थ है बालक को इस योग्य बनाना कि वह स्वयं सत्य की खोज कर सके। तथा सत्य को आत्मसात करके व्यक्त कर सके।"

* काण्ट:- "शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमे क्षमता है।"

* **शिक्षा की मुख्य विशेषताएँ:-** • निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
• शिक्षण संस्थाओ तक ही ~~चलने वाली~~ सीमित नही।
• सचेतन प्रक्रिया है।
• विकास की प्रक्रिया है।
• आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है।
• एक गत्यात्मक प्रक्रिया है।
• परिवर्तन कारी प्रक्रिया है।
• त्रिमुखी प्रक्रिया है।

MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

* **शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक:-**
• भौगोलिक घटक, आर्थिक घटक, संस्कृति घटक, दार्शनिक घटक, सामाजिक घटक,
• भाषायी घटक, वैज्ञानिक घटक, ऐतिहासिक घटक, धार्मिक घटक, नैतिक घटक,

* **शिक्षा के उद्देश्य-** शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाना चाहिए। शिक्षा का सम्बन्ध हमारे जीवन के समस्त पक्षो से है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों का भी बहुपक्षीय होना स्वाभाविक है।

शिक्षा के उद्देश्यो के विषय में विभिन्न विद्वानो, दार्शनिकों तथा शिक्षाशास्त्रियों के विचारो का संक्षिप्त उल्लेख-

__सुकरात:-__ "शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य की जानकारी कराकर तदनुसार उसे व्यवहार कराना सीखना है।"
__प्लेटो:-__ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है
__रूसो:-__ "व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।"
__हरबर्ट:-__ "शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता एवं चरित्र का सुधार है।"
__जॉन डीवी:-__ "शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक गुणो की अभिवृद्धि है।"
__हर्बर्ट स्पेन्सर:-__ "जीवन की सफलता ही शिक्षा का उद्देश्य है।"

* शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार :— • सामाजिक परम्पराएँ, • दार्शनिक मान्यताएँ, • समाज की आर्थिक स्थिति, • देश की राजनीतिक स्थिति, • समाज की औद्योगिक स्थिति तथा वैज्ञानिक प्रगति, • सामाजिक परिवर्तन,

* वर्तमान लोकतान्त्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य :—

• समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना
• सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा
• निःशुल्क शिक्षा
• प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था
• बाल केन्द्रित शिक्षा, • शिक्षण पद्धतियाँ
• व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व
• सामाजिक क्रियाएँ, • छात्र परिषद
• शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान
• स्कूल प्रशासन, • बुद्धि परीक्षाएँ, • बालक का शारीरिक स्वास्थ्य,

INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

Unit II शिक्षा के कार्य

* महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- शिक्षा के कार्य व्यापक एवं बहुपक्षीय है।
- सभ्यता, संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तान्तरण शिक्षा का सामान्य कार्य
- पर्यावरण से अनुकूलन का कार्य शिक्षा का मानवीय मूल्य अर्जन सम्बन्धी कार्य
- शिक्षा से व्यक्ति को व्यावसायिक कुशलता प्राप्त होती है।
- शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर व चारित्रिक विकास करना है।
- अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास व मानवीय संसाधन का विकास

* शिक्षा के सामान्य कार्य:-

- जन्मजात शक्तियों का विकास
- बालक की मूल प्रवृत्तियों का नियन्त्रण
- बालक के चरित्र का निर्माण तथा नैतिक विकास
- बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास
- बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करना
- सामाजिक भावना का समुचित विकास
- संस्कृति तथा सभ्यता के संरक्षण का कार्य
- सामाजिक सुधार कार्य
- उत्तम नागरिकों का निर्माण
- राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य।

MANAGEMENT & ... BULANDSHAHR

* सामाजिक विकास में शिक्षा सहायक के रूप में:-

- सामाजिक विरासत का संरक्षण
- सामाजिक भावना की जागृति
- समाज का राजनैतिक विकास
- समाज का आर्थिक विकास
- सामाजिक नियन्त्रण
- सामाजिक परिवर्तन
- सामाजिक सुधार

* अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाऐं –

- विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय दिवसो का आयोजन – साक्षरता दिवस, पर्यावरण दिवस मानव अधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला दिवस।
- विश्व की महान विभूतियो के जन्म दिवसो का आयोजन –
- उपयोगी व्याख्यानो का आयोजन
- विभिन्न प्रतियोगिताओ का आयोजन – वाद विवाद, निबन्ध लेखन, सामान्य ज्ञान,
- विभिन्न राष्ट्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमो का मंचन: रहन सहन, वेशभूषा।
- विभिन्न प्रदर्शनियो का आयोजन।
- अन्तर्राष्ट्रीय खेलो आदि का आयोजन
- पुस्तको एवं पत्र-पत्रिकाओ का आदान प्रदान

BULANDSHAHR

* अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ –
अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एक उदार एवं व्यापक भावना है। राष्ट्रीयता की सीमाओं को लांघकर विश्व मानव के साथ जुड़ने की भावना ही अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना है। यह विश्व-नागरिकता या विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास है। विश्व के सभी देशों के निवासियो में पारस्परिक प्रेम, सहयोग तथा मैत्री/मित्रता के भाव का विकास विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का नागरिक होने साथ-2 सम्पूर्ण विश्व का भी नागरिक है।

*** परिभाषा –** ओलिवर गोल्ड स्मिथ – "अन्तर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नही है वरन् विश्व का नागरिक भी है।"

* अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के पक्ष में –

- सम्पूर्ण विश्व के नागरिक मानव-जाति से ही हैं –
- ~~सम्पूर्ण~~ विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धो को रोकना।
- आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए
- सभी राष्ट्रो की पारस्परिक निर्भरता के कारण
- लोकतान्त्रिक आदर्श होने के कारण – स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय आ
- अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रो के विकास के लिए।

* मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा:-

समस्त संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बटा गया है।

1- भौतिक संसाधन

2- मानवीय संसाधन

1- भौतिक संसाधन- प्रकृति प्रदत्त होते है। अथवा उन्हे खोजा जाता है।

2- मानवीय संसाधन - मानवीय संसाधनो के समुचित विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक होती है।

G S R INSTITUTE OF TECHNOLOGY BULANDSHAHR

1- रुचियों के विकास के लिए शिक्षा
2- स्वास्थ्य एवं शक्ति के विकास के लिए शिक्षा
3- ज्ञान के विकास के लिए शिक्षा
4- योग्यता एवं कुशलता के विकास के लिए शिक्षा
5- मनोवृत्तियों के विकास के लिए शिक्षा।।

Unit III शिक्षा के अभिकरण औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक

* महत्वपूर्ण बिन्दु:- • शिक्षा के औपचारिक साधन या अभिकरण वे संस्थायें या स्थल होते है। जहाँ नियमित रुप से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होती है।

- शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण उन संस्थाओ और केन्द्रो को कहा जाता है। जहाँ बिना किसी नियम और व्यवस्था शिक्षा दी जाती है।
- निरौपचारिक शिक्षा में विधालय से बाहर की वह सम्पूर्ण शिक्षा शामिल है जो विभिन्न आयु-वर्ग के व्यक्तियो को प्रदान की जाती है।
- रेडियो एवं टेलीविजन शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण है।
- परिवार शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है।
- मुक्त विश्वविद्यालय निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है।

BULANDSHAHR

* शिक्षा के औपचारिक अभिकरण:- शिक्षा के औपचारिक साधन या अभिकरन वे संस्थाएँ या स्थल होते है। जहाँ नियमित रुप सें शिक्षा प्रदान करने अथवा शिक्षण की व्यवस्था होती है। इन संस्थाओ के निर्धारित एवं निश्चित नियम होते है।

अभिकरण /साधन- विधालय, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, कलावीथियाँ तथा व्यायामशाला आदि।

* शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण:- शिक्षा के अनौपचारिक साधन उन सब संस्थाओ एवं केन्द्रो को कहा जाता है। जहाँ बिना किसी नियम अथवा व्यवस्था के किसी को भी किसी भी विषय की शिक्षा दी जा सकती है। इसमे कोई एक शिक्षक नही होता।

अभिकरण /साधन- परिवार, मित्र मण्डली, धार्मिक संस्थाए, खेल समूह, तथा यात्रा आदि।

* शिक्षा के अनिरौपचारिक अभिकरण:- वर्तमान समय में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जिसे निरौपचारिक शिक्षा (Nonformal Education) के रूप में जाना जाता है। न तो औपचारिक शिक्षा की भाँति कठोर होती और न ही अनौपचारिक शिक्षा की भाति अनियोजित तथा अव्यवस्थित भी नही होती. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के मध्य मार्ग को निरौपचारिक शिक्षा कहते है।

निरौपचारिक अभिकरण/साधन:- मुक्त विद्यालय, एवं मुक्त विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्क्रम, तथा दूरस्थ शिक्षा.

निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में समाचारपत्र, पत्रिकाओ, रेडियो, दूरदर्शन, भाषण-प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण, गोष्ठियो, आदि।

G.S.R. INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

Unit-IV शिक्षा द्वारा संवैधानिक मूल्यों का अन्तर्निवेशन

* महत्वपूर्ण बिन्दु :- • किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है।
• मूल्य एक ऐसी वस्तुस्थिति है जो वह आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है।
• भारतीय संविधान का मूल्य है सम्प्रभुता, समाजवाद, पन्थनिरपेक्षता, लोकतन्त्र गणतन्त्रिकता प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुता, मानवीय गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता।
• लोकतन्त्र सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समानता पर बहुत अधिक निर्भर करता है
• मौलिक अधिकारों में शैक्षिक अवसरों को भी सुनिश्चित किया गया है।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालन की अनुमति देता है।
• शिक्षा विषय संविधान की तीनों अनुसूचियों में शामिल है।
• सभी बच्चों को सार्वजनिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, और स्थानीय निकायों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

* मौलिक अधिकार और शिक्षा :- संविधान में दिए गये नागरिकों के मौलिक अधिकारों ने समानता की भावना स्थापित की है। और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाए रखने में सहायता की है। ये अधिकार परिसीमन के रूप में कार्य करते हैं। और विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को धारण करते हैं।

निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में शिक्षा से विशेष रूप से सम्बन्धित है-

• अनुच्छेद - 14 - राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा भारत राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत कानूनों की समान सुरक्षा से मना नहीं करेगा। प्रवेश के नियम ठीक हो जिससे शिक्षा की पहुँच सभी के लिए सुनिश्चित हो जाये।

BULANDSHAHR

* अनुच्छेद 15 - राज्य द्वारा धर्म, वंश जाति लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का आश्वासन देता है। भारत में शैक्षिक अवसरों की गुणवत्त भी सुनिश्चित करता है।

* अनुच्छेद 21 ए - 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जिसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। दिसम्बर 2002 में 86वे संशोधन के द्वारा शामिल किये गये इस अनुच्छेद ने शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक विस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है।

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह माता पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस दिशा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 Right to Education Act 2009 भी महत्वपूर्ण है।

* अनुच्छेद 28 - इस अनुच्छेद के अन्तर्गत न तो राज्य और न ही कोई अन्य साधन राज्य कोष द्वारा पूर्णतया प्रबन्धित किसी भी विद्यालय में शिक्षा दे सकता है किसी ट्रस्ट या धर्मदाय से सम्बन्धित संस्थाओं के लिए छूट का प्रावधान है। किसी भी अभिभावकों की सहमति के बिना किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बालक को बाध्य नहीं किया जा सकता।

* अनुच्छेद 29 - ऐसे समूहों को शिक्षा जिनके पास अपनी निश्चित भाषा लिपि अथवा संस्कृति हो। अनुच्छेद देश के अन्तर्गत संस्कृति विविधता को संरक्षण प्रदान करता है।

* अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड — ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना एक केन्द्रीकृत प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए पहले से ही स्थापित विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सन् 1987 में प्रारम्भ की गई।

BULANDSHAHR

Unit V - शिक्षा - पूर्व प्राथमिक शिक्षा -

* महत्वपूर्ण बिन्दु:— ० बच्चे के जीवन के प्रथम आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष होते हैं।
  - ० बाल्यावस्था के इन वर्षों मे सायकि संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक और गत्यात्मक क्षमताओ का विकास होता है।
  - ० पूर्व प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य - बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना है।
  - ० शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ में लागू हुआ।

* पूर्व-प्राथमिक शिक्षा — पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चो को दी जाती है। यह संयोजित शिक्षा का पहला अवसर स्तर है।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्री-स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकारी व निजी विद्यालयो में किसी भी एक व्यवस्था जैसे आँगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री-स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है।

* पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य: — ० सर्वांगीण विकास और जीवन पर्यन्त सीखने के लिए सुदृढ आधार उपलब्ध कराना।
  - ० बच्चो को विद्यालय के लिए तैयार करना।

* पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य: — ० बाल-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना जहाँ प्रत्येक बच्चे का महत्व हो।
  - ० उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण अच्छी आदते आदि का आधार तैयार करना
  - ० बच्चो को प्रभावी सम्प्रेषक बनने और ग्रहणशील तथा भावबोधक दोनो भाषाओ को विकसित करने में सक्षम बनाना।
  - ० बच्चों को भागीदार व शिक्षार्थी बनने, विवेचनात्मक रुप से सोचने रचनात्मक भागीदारी सम्प्रेषक बनने और अपने आस-पास के परिवेश से जुड़ने में सहायता करना।

* पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व: — छोटे बच्चे भावनात्मक रुप में सहायक और सक्षम परिवेश में सबसे अच्छी तरह सीखते है, जहाँ एक उत्तरदायी शिक्षक बच्चो के साथ सुरक्षित और सुदृढ सम्बन्ध बनाने मे सहायता करता है। ऐसे वातावरण में बच्चे खोजबीन करने, अभिव्यक्त करने, सीखने और आत्मविश्वास प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्रता का अनुभव करते हैं।

BULANDSHAHR G.S.R INSTITUTE

* पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रतिमान : डाल्टन प्रणाली

महत्वपूर्ण बिन्दु :- ० डाल्टन शिक्षा प्रणाली को प्रयोगशाला प्रणाली कहते है।

- डाल्टन शिक्षा प्रणाली के जन्मदात्री अमेरिका की मिस हेलेन पार्कहर्स्ट थी।
- 11-12 वर्ष के बालको के लिए यह प्रणाली महत्व पूर्ण मानी जाती है।
- यह प्रणाली प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देती है।
- शिक्षा बाल केन्द्रित होती है।
- यह स्व शिक्षा के सिद्धान्त पर आधारित है।
- इसमे पहले कार्य की एक सुनिश्चित योजना बना ली जाती है।

* डाल्टन शिक्षा प्रणाली का अर्थ - डाल्टन शिक्षा प्रणाली को प्रयोगशाला प्रणाली' भी कहते है। इस प्रणाली पर आधारित विद्यालयो में प्रत्येक विषय की अलग प्रयोग शाला होती है। प्रयोगशाला में विषय से सम्बन्धित अध्यापक सारे समय वही रहता है। तथा विषय से सम्बन्धित आवश्यक पुस्तके, सहायक सामग्री एवं मानचित्र आदि सभी वही रखे रहते है। ताकि बालक सुविधापूर्वक अपना कार्य कर सके प्रत्येक विषय से सम्बन्धित वर्षभर के कार्य या एक सप्ताह या महीने भर के कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व बालक को दे दिया जाता है। बालक रोज चाहे जितना कार्य करे। इसकी उसे पूरी स्वतन्त्रता होती है। बालको को कार्य देते समय उनकी इच्छाओ एवं रुचियो का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार बालक को अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर प्राप्त होता है।

* डाल्टन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख सिद्धान्त —

- शिक्षा का बाल केन्द्रित होना
- पूर्ण स्वतन्त्रता का सिद्धान्त, ० कार्य की परीक्षा
- प्रयोगात्मक शिक्षण, ० शिक्षक का मात्र एक पथ-प्रदर्शक होना
- स्व शिक्षा का सिद्धान्त, ० मनोवैज्ञानिकता, ० सामूहिक शिक्षा,

* डाल्टन शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियाँ —

- पाठ का ठेका - निश्चित समय में पुरा करना
- निर्दिष्ट पाठ -
- कार्य इकाई
- प्रयोगशालाएँ, कक्षाओ की सभाएँ

G.R. INSTITUTE OF TECHNOLOGY BULANDSHAHR

मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली

* महत्वपूर्ण बिन्दु :- • मोण्टेसरी एक लोकप्रिय शिक्षा प्रणाली है।
  - इसकी शुरु बात मैडम मारिया मोण्टेसरी ने की थी
  - मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे के लिए।
  - स्व शिक्षा पद्धति का प्रयोग भी इसमे किया जाता है
  - इसमे खेलों के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है।
  - इसके प्रणाली मे शिक्षण हेतु अनेक उपकरणो का प्रयोग भी किया जाता है।

* मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली मुख्य रुप से 3 से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चो के लिए है। मैडम मोण्टेसरी शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना मानती थी इसीलिए वे शिक्षा को एक आन्तरिक विकास की प्रक्रिया मानती थी। उनका कहना था कि यह आन्तरिक विकास होना तब ही सम्भव है जबकि बालक की आन्तरिक शक्तियो को उनके अनुकूल विकसित होने दिया जाये। बालक की क्रियात्म शक्तियो का विकास उन्ही के द्वारा की गई क्रियाओ द्वारा होना चाहिए।

* मॉण्टेसरी शिक्षा प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्त :-
  * विकास के लिए शिक्षा का सिद्धान्त - सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जो बालक के विकास में निरन्तर सहायता प्रदान करे।
  * पूर्ण स्वतन्त्रता का सिद्धान्त
  * स्व-शिक्षा का सिद्धान्त
  * तार्किक अनुशासन का सिद्धान्त
  * मनोवैज्ञानिक आधार का सिद्धान्त
  * आत्माभिव्यक्ति का सिद्धान्त
  * स्व-संशोधन का सिद्धान्त
  * खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धान्त
  * आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त
  * ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का सिद्धान्त

G & R INSTITUTE BULANDSHAHR ...OLOGY

* मॉण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली की प्रक्रिया —
  1. कर्मेन्द्रियो की शिक्षा
  2. ज्ञानेन्द्रियो की शिक्षा
     - स्पर्शेन्द्रिय की शिक्षा
     - चक्षु/आंख इन्द्रिय की शिक्षा
     - श्रवणेन्द्रिय की शिक्षा
     - घ्राणेन्द्रिय की शिक्षा।
  3. भाषा एवं गणित की शिक्षा
     - लिखना
     - पढ़ना
     - गणित

किण्डरगार्टन प्रणाली

*** महत्वपूर्ण बिन्दु—** • किण्डरगार्टन प्रणाली के जनक फ्रोबेल है।
- इस प्रवृत्ति पर बालको को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है।
- यह पद्धति एकता की शिक्षा प्रदान करती है।
- इस पद्धति में खेल के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान है।
- फ्रोबेल ने आत्माभिव्यक्ति के लिए गीत, गति तथा रचना पर बल दिया।
- किण्डरगार्टन पद्धति मे 50 गीतो की एक पुस्तक है।
- किण्डरगार्टन प्रणाली शिशु केन्द्रित शिक्षा प्रणाली है।

*** किण्डरगार्टन प्रणाली:—** किण्डर गार्टन शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। जो 'किण्डर' व 'गार्टन' दो शब्दों से मिलकर बना है। 'किण्डर' का अर्थ है बालक और गार्टन का अर्थ है 'उद्यान' होता है। किण्डरगार्टन का अर्थ होता है। बच्चो का बगीचा। 1940ई० में फ्रोबेल ने किण्डरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना की।

फ्रोबेल शिक्षक को एक माली और बच्चो को पौधे मानता है उसका कहना है बालक जो कुछ भी होगा वह उसके भीतर है " फ्रोबेल के अनुसार 'बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रुपी माली के देख-रेख में अपने नियमो के अनुसार विकसित होता है। इस पद्दति में बालक को पुस्तको से लादा नही जाता ~~सकता~~ बल्कि उनको स्वतन्त्र रूप से हसने, खेलने, बोलन, एवं घुमने दिया जाता है। अर्थात उन्हें पौधो के समान स्वतन्त्र एवं स्वाभाविक रुप से विकसित होने दिया जाता है।"

*** किण्डर गार्टन प्रणाली के सिद्धान्त:—** • एकता का सिद्धान्त – सभी बच्चे एक ही ईश्वर का अंश है।
- स्वत: विकास का सिद्धान्त, • सामाजिकता का सिद्धान्त
- स्व-क्रिया का सिद्धान्त
- खेल द्वारा क्रिया का सिद्धान्त • सामूहिकता का सिद्धान्त
- स्वतन्त्रता का सिद्धान्त

G&B RINS... BULANDSHAHR ... AGOTON... (stamp)

*** किण्डर गार्टन शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण सामग्री:—**
- खेल, • मातृ-गीत शिशु-गीत, • उपहार,
  - ऊन की छह गेंदे
  - बेलन गोले तथा घन
  - एक बड़ा घन
- वर्ग तथा त्रिभुज
- व्यापार तथा कार्य
- पाठ्यक्रम

* भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि :-

* महत्वपूर्ण बिन्दु : ० भारत में लगभग सभी गाँवो में आँगनवाडी केन्द्र है।

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चो की भागीदारी अस्थिर है।
- देश में शिक्षा प्रक्रिया बच्चो की आयु के अनुसार सुनिश्चित की जाती है।
- नियोजित खेल के अवसर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक है।
- भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तीनो क्षेत्रो अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनो द्वारा प्रदान की जाती है।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर पर विस्तार नही है।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय- आँगनवाडी, बालवाडी, नर्सरी, प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी LKG, UKG, आदि नामो से भी जाना जाता है।
- पूर्व प्राथमिक केन्द्रो में पूरा ध्यान पढने लिखने और गणित (3Rs) के औपचारिक शिक्षण पर केन्द्रित होता है।

G.S.R. INST. BULANDSHAHR TECHNOLOGY

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

* महत्वपूर्ण बिन्दु :- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में लायी गई।

- इसमे 5+3+3+4 के ढाँचे को स्वीकृति दी गई है।
- बच्चों के 85 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षण में खेल को प्राथमिकता दी गई है।
- नई परम्पराओ को शमिल किया जाना भी इस शिक्षा नीति में शामिल है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी आँगनवाडियो को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढाचे मे शमिल नही है। क्योंकि 6 वर्ष के बच्चो को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है नये 5+3+3+4 ढाचे में 3 वर्ष के बच्चो को शामिल कर "प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा" Early Childhood Care and Education) ECCE' की एक मजबूत नींव को शामिल किया गया है। जिससे आगे चल कर बच्चो का विकास बेहतर हो

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

* समान अवसर प्रदान करना – सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारं बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इस लिए ECCE की व्यवस्था की गई।

* सम्पूर्ण विकास की नीति

* नई परम्पराओं का शामिल किया जाना – NCERT के अनुसार 0 से 3 वर्ष व 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम।

* सार्वभौमिक पहुंच की व्यवस्था

* आंगनवाड़ी केन्द्रों का विकास

* बालवाटिका का निर्माण

* शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था

* आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू

* शिक्षा मन्त्रालय की भूमिका

G.B.R. INSTITUTE ... BULANDSHAHR ... AGOTONHO...

* नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

* महत्वपूर्ण बिन्दु— इसे प्रारम्भिक शिक्षा इसलिए कहते है कि यह बच्चों को प्रारम्भ मे दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कहते है कि यह आगामी शिक्षा की नींव होती है।

- 1854 में वुड के घोषणा पत्र के आधार पर राज्यो को प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंपा गया।
- लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे अनेक कार्य किए गए।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में प्राथमिक शिक्षा के विकास की दिशा में तीव्र प्रयास किए गए।
- वर्तमान में देश में 'अनिवार्य शिक्षा' का कानून लागू है। इसने प्राथमिक शिक्षा के विकास में बहुत योगदान दिया।
- देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एक गम्भीर समस्या है।
- यूनेस्को के अनुसार भारत के लगभग 50 प्रतिशत बालक प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त नही कर पाते है।

* प्राथमिक शिक्षा का अर्थ- प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ-प्रारम्भिक, मुख्य है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्रारम्भिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। यह बच्चो को प्रारम्भ में दि जाती है। और मुख्य शिक्षा इसलिए कहते है कि यह आगामी शिक्षा की नींव होती है।

* भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास— ० ब्रिटिश काल में प्रायमिक शिक्षा
० स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा

G & R INSTITUTE BULANDSHAHR TECHNOLOGY

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा— 1835 में लार्ड विलियम बैंटिक ने भारत में शिक्षा से सम्बन्धित अपनी नीतियो को निर्धारित किया।
1854 में वुड घोषणा-पत्र के आधार पर सभी राज्यो में शिक्षा विभाग स्थापित किए तथा इन विभागो को ही प्राथमिक शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

* 1857 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की समाप्ति हो गयी तथा भारतीय शासन की सम्पूर्ण सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गयी।

1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए हण्टर कमीशन की स्थापना की।

1904 में शिक्षा नीति के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा का विकास प्रारम्भ हुआ

1905 में अखिल भारतीय कलकत्ता अधिवेशन मे भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की माग की गयी।

* स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा:- सन 1947 तक प्राप्त आँकड़ो के अनुसार भारत वर्ष में बालको के लिए 229 नगरों तथा 10017 गावों में तथा बालिकाओं के लिए 10 नगरो तथा 1404 गाँवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा चुकी थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया एवं संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में घोषणा की। 'राज्य संविधान को क्रियान्वित किये जाने के समय से 10 वर्षों के अन्दर भारत में समस्त बालको के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

G.B.R.I. BULANDSHAHR ... TECHNOLOGY

* वर्तमान परिदृश्य:- वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2019-2020 में स्कूलो की संख्या लगभग 14 लाख; विद्यार्थियों की संख्या 15 करोड़ इनमे से छात्राओं की संख्या 7 करोड़ है। 6-11 आयुवर्ग की जनसंख्या में 99.3% लड़के और 98.1% लड़कियाँ है। नामांकन का प्रतिशत कुल 95% है।

* भारत की प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या –

* अपव्यय – प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एक गम्भीर समस्या है। प्राथमिक स्तर के बालकों की शिक्षा हेतु जब अभिभावकों प्राथमिक शिक्षा को संचालित करने वाली सहायक संस्थाओं और राज्यों के द्वारा खर्च किए गये धन का सदुपयोग नहीं हो पाता अर्थात बालक किसी भी कारणवश प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। तो उसे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के नाम सम्बोधित किया जाता है।

* अपव्यय के प्रमुख कारण –

* प्रशासनिक कारण – अयोग्य, दुश्चरित्र एवं बेईमान विद्यालय प्रशासकों से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति की आशा नहीं की जा सकती।

* शैक्षिक अव्यवस्था – ~~शैक्षिक~~ प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण शीघ्र ही वे बालक शैक्षिक संसार से सदैव के लिए अपना नाता तोड़ कर अपने घरों में आ बैठते हैं।

* अभिभावकों का आर्थिक स्तर –

* पर्याप्त सामाजिक चेतना का अभाव

G.B.R. INST. OF TECHNOLOGY BULANDSHAHR

* अवरोधन की समस्या — अपव्यय की समस्या के समान ही अवरोधन की समस्या भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक गम्भीर समस्या के रूप में सामने आयी है। जब एक बालक कक्षा में ही निरन्तर अनुत्तीर्ण होता रहता है। तो इस समस्या को अवरोधन की समस्या के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

हर्टाग समिति – बालक का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना है"

* अवरोधन के प्रमुख कारण :-

* अनुपयुक्त विद्यालयी व्यवस्था – विद्यालय का वातावरण व उचित स्थान पर न होना।

* दोषयुक्त परीक्षा प्रणाली – वर्तमान समय की परीक्षा प्रणाली भी अत्यन्त दोषपूर्ण है। केवल बालकों की स्मृति पक्ष पर ध्यान दिया जाता है।

* पाठ्यक्रम की दोषयुक्तता – प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक अरुचिकर, अनुपयोगी एवं अव्यावहारिक है।

* दोषयुक्त शैक्षिक व्यवस्था –

भारत में माध्यमिक शिक्षा

* महत्वपूर्ण बिन्दु :- ○ माध्यमिक शिक्षा पर विमर्श हेतु देश में मुदालियर आयोग का गठन किया गया।

○ माध्यमिक शिक्षा आयोग ~~विद्यार्थि~~ विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के पक्ष में था।

○ माध्यमिक शिक्षा का एक उद्देश्य नेतृत्व योग्यता का विकास भी था।

○ जनतान्त्रिक नागरिकता के विकास हेतु भी माध्यमिक शिक्षा प्रयासरत रहती है।

○ माध्यमिक शिक्षा व्यक्तित्व विकास, सामाजिकता तथा सामुदायिकता का विकास करती है।

* माध्यमिक शिक्षा का अर्थ :-

1. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं।
2. कक्षा 9 तथा कक्षा 10 की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं।
3. कक्षा 11 तथा कक्षा 12 की शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है।

1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में कक्षा 11 व 12 की शिक्षा को स्कूल शिक्षा क्रम में समाहित करने का प्रयास करने का संकल्प किया गया। यह स्पष्ट है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक चलने वाली ~~यदि~~ माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है। तथा उच्च शिक्षा से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। शिक्षा आयोग 1964-66 में भी माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया -

1- निम्न माध्यमिक शिक्षा
2- उच्च माध्यमिक शिक्षा

* माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य :-

1- व्यावसायिक कुशलता का विकास- शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा से सम्बन्धित विशेष विषयों का समावेश किया जाना अति आवश्यक है।

2- नेतृत्व योग्यता का विकास :-

जनतन्त्रात्मक नागरिकता का विकास- भारत एक लोकतन्त्रीय शासन पद्धति द्वारा संचालित होने वाला देश है। जिसके कारण देश के लोगों में प्रेम, देशप्रेम, सौहार्द, अनुशासन, सहयोग तथा सहिष्णुता आदि की भावना का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास:- विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्तियों का विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इनको अपनी संस्कृति से भी अवगत कराया जाना आवश्यक है।

G.B.R.IN... BULANDSHAHR

* माध्यमिक शिक्षा का महत्व:-

- यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का कार्य करती है।
- यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी आरम्भ हो जाती है।
- माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण है।
- यह व्यक्तित्व का विकास करती है।
- यहीं से छात्र-छात्राएँ जीने की कला सीखते हैं।
- यह सामाजिकता व सामुदायिकता का विकास करती है।

* माध्यमिक शिक्षा की समस्याएँ —

* माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध:- अनेक प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं- राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निकाय/समिति माध्यमिक विद्यालय, तथा स्व संचालित माध्यमिक विद्यालय आदि। स्व संचालित माध्यमिक विद्यालय व निजी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है। सरकार माध्यमिक शिक्षा का भार अपने ऊपर नहीं लेती है।

* सामुदायिक जीवन का अभाव- विद्यालयों में सामाजिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता जिससे छात्रों में परस्पर सम्बन्ध/सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता और ना ही सामुदायिक भावना का विकास नहीं हो पाता।

* अवांछनीय विद्यालयों में वृद्धि – माध्यमिक शिक्षा के साथ ही आज अवांछनीय निजि ~~विद्या~~ शिक्षालयो की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। ये विद्यालय स्वार्थपूर्ति का साधन बने हुए है। इन विद्यालयों में अध्यापको को कम वेतन दिया जाता है और छात्रो से अधिक मासिक शुल्क लिया जाता है।

* छात्रो में व्याप्त अनुशासनहीनता – छात्रो में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है।

* पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता – पाठ्यक्रम का रूप एकमार्गीय न होकर विद्यार्थियों को अपने बहुँमुखी विकास का अवसर दिया जाना चाहिए।

* अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या –

* दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली – केवल स्मृति परिक्षण ही किया जाता है। ~~अतः~~ सभी पक्षो का परिक्षण किया जाना चाहिए।

* व्यवसायीकरण का अभाव –

G.B.R. INSTITUTE ... TECHNOLOGY BULANDSHAHR

Unit-VII

उच्च शिक्षा : अवधारणा, उद्देश्य आवश्यकता

*. महत्वपूर्ण बिन्दु :- उच्च शिक्षा, शिक्षा का तीसरा स्तर है।
- राधा कृष्णन आयोग की स्थापना सन् 1948 में हुई थी।
- उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और समाज में समानजनक स्थान ।
- इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापन 1985 में हुई।
- राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है।

* उच्च शिक्षा :- सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। इसके अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक (Postgraduate) तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते है।

* उच्च शिक्षा के उद्देश्य :- भारत सरकार ने नवम्बर 1948 में डॉ राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक सिफारिशें की और अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट दी।

1. उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और समाज इन दोनों में सम्मान देना।
2. सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों में शैक्षिक प्रणाली द्वारा अपना मार्गदर्शक सिद्धान्त खोजना।
3. जीवन के उच्च मूल्यों के लिए ध्यान देना।
4. राष्ट्रवाद और विश्व राज्य के निर्माण की भावना करना।
5. 14 जुलाई 1964 डा॰ डी॰एस॰ कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। - जीवन के सभी क्षेत्रों में सही प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना।

- विशिष्ट बुद्धि प्राप्त युवाओं की पहचान करना और उन्हें उनकी क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में सहायता करना।
- कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित सक्षम पुरुषों और महिलाओं को अवसर प्रदान करना।
- समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और सामाजिक और सांस्कृतिक अन्तर को कम करने का प्रयास करना।
- विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली विकसित करना।

* उच्च शिक्षा की आवश्यकता - सामाजिक व नागरिक दायित्व के बोध हेतु।
- विद्यार्थियों में समाज व देश के प्रति संवेदनशीलता जाग्रत करने के लिए।
- सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु।
- जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए।
- योग, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
- भाषायिक अनुसन्धान हेतु।

G.E.R.I.N. BULANDSHAHR

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :- भारत सरकार ने 1945 में सार्जेन्ट रिपोर्ट के सुझाव के आधार पर एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया। राधाकृष्णन आयोग ने सन् 1948 में सार्वजनिक धन विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की सिफारिश की। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें विश्वविद्यालय के कुलपति दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि तथा पाँच उच्च कोटि के शिक्षाशास्त्री होते हैं।

* विश्वविद्यालय अनुदान के कार्य :- विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बन्धित कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना।
  - उच्च शिक्षा के विकास और उन्नति सम्बन्धी किसी भी विषय पर भारत सरकार को परामर्श देना।
  - विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को परामर्श देना।

* मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन :- उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर प्रदान करने तथा शिक्षा को जनतान्त्रिक बनाने हेतु मुक्त विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन् 1985 में स्थापित 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' को सुदृढ़ किया गया। इस प्रबल साधन का विकास एवं विस्तार सावधानीपूर्वक किया गया।

* मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएँ :- इसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।
  - इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए किसी डिग्री / डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है
  - प्रवेश लेने वाला किसी भी क्षेत्र का निवासी हो सकता है।
  - इसमें समय की बाध्यता भी नहीं है।
  - इसका कोई परिसर नहीं है।
  - टी.वी. पाठों के प्रसारण के लिए सरकार इस प्रकार व्यवस्था करेगी जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र लाभान्वित हो सकें।
  - खुले विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों में अध्ययन का समय छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखकर निर्धारित किया जाएगा।

INSTI... BULANDSHAHR ...NT

* महत्वपूर्ण बिन्दु :- मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का नया नाम शिक्षा मन्त्रालय है

- NCERT केन्द्र सरकार की संस्था है।
- UNESCO संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है।
- NCTE अध्यापक शिक्षा का संचालन करती है।
- NUEPA भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है।
- उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में DIET है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय संस्था है।
- AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ० प्र० का मुख्यालय प्रयागराज में है।

G.R. INSTITUTE ... BULANDSHAHR

* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद :- NCERT- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना 1 सितम्बर, 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना।

परिषद् का संगठन – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना निम्नलिखित संस्थाओं को मिलाकर की गयी थी – माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान, श्रव्य-दृश्य राष्ट्रीय संस्थान।

* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य एवं कार्य :-

* परिषद के उद्देश्य :- रा० शै० अ० प्र० प० एक स्वायत्त तथा पूर्णरूप से केन्द्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार को सहयोग व परामर्श देना है। जिससे शिक्षा सम्बन्धी नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण व क्रियान्वयन समुचित ढंग से हो सके।

* परिषद के प्रमुख कार्य :- अनुसंधान – शिक्षा की समस्त शाखाओं में अनुसन्धान कार्य व उनमें सहायता प्रदान करना।

प्रशिक्षण :- सेवारत तथा सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के उच्चस्तरीय कार्यक्रम संचालित करना।

प्रोत्साहन :- शिक्षण की उन्नत तकनीकों व नव संचारों को प्रोत्साहन देना।

शैक्षिक सूचनाएँ :- शैक्षिक सूचनाओं का संचालन व सम्पादन करना।

संरचना :- NCERT पर सामान्य निकाय/संगठन व कार्यकारिणी समिति का नियन्त्रण :-

1- सामान्य संगठन :- अध्यक्ष - शिक्षा मन्त्री इस सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते है। सदस्य :- (अ) सभी राज्यो के शिक्षा मन्त्री,(ब) यू॰जी॰सी॰ के अध्यक्ष,(स) विश्वविधालयो के चार कुलपति (द) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष (य) केन्द्रीय विश्वविधालय के संगठन के आयुक्त (र) भारत सरकार द्वारा मनोनीत चार अध्यापक तथा (ल) कार्यकारिणी के सभी सदस्य।

2- कार्यकारिणी समिति :- अध्यक्ष - शिक्षामंत्री, सदस्य - केन्द्रीय राज्य शिक्षा मन्त्री,(ब) केन्द्रिय शिक्षा सचिव,(स) यू॰ जी॰ सी॰ के अध्यक्ष (द) NCERT के निदेशक व संयुक्त निदेशक (य) केन्द्रीय संसाधन विकास मन्त्रालय व केन्द्रिय वित्त मन्त्रालय के एक-एक प्रतिनिधि (र) दो अध्यापक,(ल) परिषद् के संकायो के तीन प्रतिनिधि (व) दो प्रख्यात शिक्षाशास्त्री।

कार्य :- परिषद् के कार्यो से सम्बन्धित सभी मामलो पर कार्यकारिणी समिति निर्णय लेती है। NCERT के दैनिक कार्यो के नियम व संचालन का उत्तरदायित्व निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा सचिव विभिन्न विभागो के अध्यक्षो की सहायता से सम्पन्न होता है।

* राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि NCTE को सर्वसम्पन्न बनाया जाएगा जिससे यह पाठ्यचर्या व पद्धतियो, मान्यता तथा सम्बद्धता के गुणात्मक दायित्व का निर्वाह कर सके। 1993 में नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट बना। जिससे शिक्षक एवं शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन हो गयी।

अध्यापक शिक्षा :- पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढाना चाहते है। इसमें निरौपचारिक, अंशकालीन, प्रौढ शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा भी शामिल है।

शिक्षक शिक्षा की योग्यता :- योग्यता से अभिप्राय डिग्री, डिप्लोमा, या प्रमाणपत्र से है, जो किसी विश्वविधालय या एक्ट के अधीन किसी परीक्षण संस्थान में दिया जाता है।

BULANDSHAHR

* राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NUEPA :-

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NUEPA शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है। यह शैक्षिक योजना एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। भारत सरकार ने 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जिससे यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समान यह भी भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित है। व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए सन 1979 में पुन: इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NUEPA) कर दिया गया।

* जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :- DIET

DIET-एक नोडल एजेंसी है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विशेष सन्दर्भ में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों की सफलता के लिए जमीनी स्तर पर अकादमिक और संसाधन समर्थन प्रदान करता है। DIET प्राथमिक शिक्षा में सुधार के विशेष उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया एक विशेष संस्थान है।

G.R. INSTITUTE BULANDSHAHR

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS :-

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अनुपालन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नम्बर 1989 में की गई। NIOS माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ-2 बहुत से व्यावसायिक, जीवन समृद्धि के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। व बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा प्राथमिक स्तर तक के पाठ्क्रम भी चलाता है।

* राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC – नैक
National Assessment and Accreditation Council –

नैक एक संस्था है जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानो का आकलन तथा प्रत्यायन (मान्यता) का कार्य करती है। इसकी स्थापन 1994 में की गयी थी।

मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूलत: किसी भी शैक्षिक संस्था की 'गुणवत्ता' की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्थान में या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेन्सी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानको को किस स्तर तक पूरा कर रहा है।

* अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE
All India Council for Technical Education – तकनीकी शिक्षा संस्थाऐ व नये पाठ्यक्रम व संस्थाओ में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है, व संस्थाओ के मानदण्ड भी निर्धारित करती है। स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय (संगठन) के रूप में की गई। बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव के मार्फत है।

* राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं शिक्षण परिषद SCERT –
SCERT की स्थापना सितम्बर 1961 में की गई। यह संस्थान शिक्षा के विभिन्न स्तरो हेतु पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तको एवं अन्य पठन साहित्य के विकास में मार्गदर्शन प्रदान करता है। 1981 में लखनऊ उ० प्र० में स्थापित व बाद में राज्य शिक्षा संस्थान उ०प्र० इलाहाबाद परिषद के तत्वाधान में प्रारम्भिक 'शिक्षा विभाग' के रूप में कार्यरत है।

INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR